

प्रारूप अटलाईस
(नियम 272 (1) देखिये)

हिताधिकारी के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन सह स्वीकृति पत्र

1. नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. पत्र व्यवहार का पता.....
4. जाति- अनु. जाति/अनु.ज.जाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/सामान्य
(जो लागू हो टिक करें)
5. आयु.....
6. विवाहित/अविवाहित.....
7. नियोजन का विवरण :-



अनु. क्रमांक	नियोजक का नाम तथा पता	क्या काम किया	कितने दिन काम किया	नियोजक के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- 1.
- 2.
- 3.

8. परिवार का विवरण

क्र.	परिवार के मुखिया का नाम	सदस्यों का विवरण नाम	मुखिया से संबंध	आयु
1				
2				
3				
4				
5				

9. मेरी मृत्यु की वरसा में मुझे देय राशि श्री/सुश्री..... पिता..... को देने हेतु मैं अपनी ओर से नामांकित करता हूँ। नामांकित व्यक्ति मेरा पुत्र/पुत्री/पति-पत्नी/माता/भाई/अन्य (विवरण दें) है, जो लागू हो टिक करें।
10. मैं सत्यनिष्ठा/ईश्वर की शपथ लेकर कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण सही है। सही न पाये जाने की स्थिति में मुझे दी गई सहायता राशि मंडल को वापस देने का बंधन देता हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

पंजीयन आदेश

आवेदन पत्र में वर्णित जानकारी का सत्यापन कराया गया। जानकारी सत्य/असत्य पाये जाने के कारण ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक..... में लिए गए निर्णय अनुसार आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

सरपंच (हस्ताक्षर).....

ग्राम पंचायत.....

विकासखण्ड.....

पंजीयन आदेश के पर्याप्त पंचायत सचिव के हस्ताक्षर से फोटो परिवय-पत्र जारी किया जावेगा।

पंजीयन अधिकारी ध्यान दें 1. इस आवेदन सहस्वीकृति पत्र ग्राम पंचायत में ही सुरक्षित रखा जावे। दोहरीकरण रोकने तथा एक ही प्रकार का लाभ दो योजनाओं से प्राप्त होने की संभावना को रोकने की दृष्टि से मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना - 2007 के अंतर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत व्यक्ति भवन एवं अन्य संनिर्माण में पंजीयन अथवा सहायता के लिए पात्र नहीं होगा।